दिनांक 19.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 25/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना विकासनगर

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 19.09.2024 को थाना विकासनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनीष को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना गोमतीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 750/2021 व 1621/2019 अन्तर्गत धारा 409/420/467 भादवि सहित अन्य अभियोगो में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना विकासनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनीष निवासी न्यू मल्हौर जानकीपुरम थाना जानकीपुरम कमिश्नरेट लखनऊ, स्थाईपता सालिकगंज रोड थाना मुट्ठीगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 15 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड आदि**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 18/19.09.2024 को थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खतौली जानसठ मार्ग ग्राम पलडी के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने

का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–गौतम 2–राहुल 3–राज घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 15 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड आदि, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना खतौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खतौली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खतौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गौतम निवासी ग्राम गुलखेडी थाना बोडा जनपद राजगढ़ मध्यप्रदेश।

2–राहुल निवासी गुलखेडी थाना बोडा जनपद राजगढ़ मध्यप्रदेश।

3–राज निवासी ग्राम मीरकाबाद थाना मुंगावली जनपद अशोकनगर मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–चोरी के 15 हजार रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड आदि।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद रामपुर/थाना टाण्डा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल का इंजन**
- **नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन, 02 फर्जी नम्बर प्लेट, 06 चाभी**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 19.09.2024 को थाना टाण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जालपुर रोड खण्डहर के पास से 03 अभियुक्तों 1–नदीम 2–उदयपाल उर्फ गुड्डू 3–सतीन्द्र उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल, चोरी की 01 मोटर साइकिल का इंजन, नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन, 02 फर्जी नम्बर प्लेट, 06 चाभी, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय कारतूस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना टाण्डा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नदीम निवासी शरीफनगर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।

2–उदयपाल उर्फ गुड्डू निवासी कलईया नंगला थाना टाण्डा जनपद रामपुर।

3–सतीन्द्र उर्फ सोनू निवासी ग्राम लक्ष्मीनगर थाना टाण्डा जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल का इंजन।

3–नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन, 02 फर्जी नम्बर प्लेट, 06 चाभी।

4–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **10 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोबाइल टावर की बैट्री**
- **चोरी के 02 बीटीएस कार्ड, 04 पावर सप्लाई पार्ट आदि**
- **40 हजार रूपये नगद**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 कार आदि बरामद**

दिनांक 19.09.2024 को थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बडौत बुढाना मार्ग पर बडकता पुलिया के पास से 10 अभियुक्तों 1–रवि 2–आशीष 3–इश्तकार सैफी 4–दीपक 5–मनीष 6–कमल नैन 7–फरीद 8–साजिद 9–अक्षय उर्फ लक्की 10–इमरान को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोबाइल टावर की बैट्री, चोरी के 02 बीटीएस कार्ड, 04 पावर सप्लाई पार्ट आदि, 40 हजार रूपये नगद, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.09.2024 को थाना बुढ़ाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैट्री, बीटीएस कार्ड, पावर सप्लाई पार्ट आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रवि निवासी ग्राम लाक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2–आशीष निवासी शत्रुधीन नगर थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर।

3–इश्तकार सैफी निवासी दुल्हेरा थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

4–दीपक निवासी भौरा खुर्द थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर।

5–मनीष निवासी ग्राम दुल्हेरा थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

6–कमल नैन निवासी रामचरण डीह थाना गौर चौराह जनपद बलरामपुर।

7–फरीद निवासी जाकिर कालौनी फतेहउल्लापुर रोड गली न0 27 थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ।

8–साजिद निवासी आशीयान कालोनी गली न0 3 थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

9–अक्षय उर्फ लक्की निवासी सोरम थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

10–इमरान निवासी आशीयान कालोनी गली न0 3 थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–चोरी की 07 मोबाइल टावर की बैट्री।

2–चोरी के 02 बीटीएस कार्ड, 04 पावर सप्लाई पार्ट आदि।

3–40 हजार रूपये नगद।

4–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

5–घटना में प्रयुक्त 02 कार आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना डिबाई

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 ई–रिक्शा बरामद**

दिनांक 18.09.2024 को थाना डिबाई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भीमपुरा दौराहे के पास से 03 अभियुक्तों 1–माजिद उर्फ मजीद 2–जीनू उर्फ दीन मोहम्मद 3–मोहम्मद हसन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 ई–रिक्शा बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त माजिद उर्फ मजीद के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त जीनू उर्फ दीन मोहम्मद के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, आर्म्स

एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त मोहम्मद हसन के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना डिबाई पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—माजिद उर्फ मजीद निवासी मकसूद नगर थाना कोतवाली उपरकोट जनपद अलीगढ़।

2—जीनू उर्फ दीन मोहम्मद निवासी साजामाल रोरावल थाना देहलीगेट जनपद अलीगढ़।

3—मोहम्मद हसन निवासी मकसूद नगर थाना कोतवाली उपरकोट जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—चोरी की 05 ई—रिक्शा।

जनपद बिजनौर/थाना कोतवाली शहर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 02 कार व 03 कार (कटी हुई), 40 स्टेपनी**
- **भारी मात्रा में वाहनो के पार्टस एवं 05 टन स्क्रेप आदि बरामद**

दिनांक 19.09.2024 को थाना कोतवाली शहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त 1—आरिफ 2—शमीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 3—मोहसिन 4—इजहार 5—फारूख को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 02 कार व 03 कार (कटी हुई), 40 स्टेपनी, भारी मात्रा में वाहनो के पार्टस एवं 05 टन स्क्रेप आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आरिफ निवासी रहमतनगर कस्बा व थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

2—शमीम निवासी मिमनाला थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

3—मोहसिन निवासी गुमानी वाली गली ऋषिकेश थाना श्यामपुर जनपद देहरादून उत्तराखण्ड।

4—इजहार निवासी दक्षिण सिविल लाइन तकिया अन्सारीयान थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर।

5—फारूख निवासी गांव खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी

1—चोरी की 02 कार व 03 कार (कटी हुई), 40 स्टेपनी।

2—भारी मात्रा में वाहनो के पार्टस एवं 05 टन स्क्रेप आदि।

जनपद बरेली/थाना इज्जतनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 18/19.09.2024 को थाना इज्जतनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे कॉलोनी के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शिवम उर्फ गोलू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त युसूफ सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त शिवम उर्फ गोलू के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 30 अभियोग एवं अभियुक्त युसूफ के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना इज्जतनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवम उर्फ गोलू निवासी मठ लक्ष्मीपुर थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

2–युसूफ निवासी नई बस्ती कस्बा थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

बरामदगी

1–नगद रूपये।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद हरदोई/थाना पचदेवरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना पचदेवरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/504/506(2) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मुन्ने उर्फ जनार्दन को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती/थाना पैकोलिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना पैकोलिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लक्ष्मण को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना चिलुआताल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 14–14 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना चिलुआताल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34/323/504/325 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–डब्लू उर्फ गिरजेश 2–मन्टू उर्फ आशीष 3–धर्मेन्द्र 4–शत्रुधन को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 14–14 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————